



06NP

618542
07/11/23

संख्या / No.....

क्रमांक:-पेंशन प्राधि./K-107/आदेश/2023-24/ 2109

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थानINDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), RAJASTHAN

दिनांक / Date..... 30/10/23

का्यालग, प्रधान महालेखाकार (लेखा)
शास्य प्रेश, गौकाबाद रोड,
इराबाद-500 001


विषय:- 75 वर्ष पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत पेंशन भत्ता के आदेश दिनांक 25.07.2023 के कम में।

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर से पत्र संख्या 3334-H दिनांक 11.10.2023 प्राप्त हुआ है। राजस्थान राज्य के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को 75 वर्ष पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत पेंशन भत्ता के आदेश दिनांक 25.07.2023 की प्रति अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को प्रेषित की है।(प्रति संलग्न)

अतः निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त आदेश दिनांक 25.07.2023 आपके कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा रहें हैं।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार (आदेश की कोपी)



भवदीय,



वरिष्ठ लेखाधिकारी/पेंशन प्राधिकृति

SCANNED



100-10050

100-10050

100-10050

100-10050



राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण,
विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान) 302005



ईमेल - dir-pen-rj@nic.in दूरभाष न. 0141-2740538, 2741687

वेबसाईट :- rajpension.nic.in, pension.raj.nic.in

क्रमांक:- प.5(11)/निपेवि/नियम/2018/पार्ट-5/3334-11

दिनांक:- 11/10/23

महालेखाकार
(लेखा एवं हक),
राजस्थान, जयपुर

विषय :- 75 वर्ष पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत पेंशन भत्ता के आदेश दिनांक
25.07.2023 के क्रम में।


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के सन्दर्भित आदेश द्वारा राजस्थान राज्य
के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को 75 वर्ष पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत पेंशन भत्ता के
आदेश दिनांक 25.07.2023 प्रति संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवाई जा रही है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ. देवराज)
निदेशक



संलग्नक प्रमाण
12/10

दि. - 26/8
16/10/23

